Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding inclusion of the 'Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Act, 2019' in the Ninth Schedule to the Constitution-laid.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग (एमबीसी) की जातियां विषेष रूप से गुर्जर, रेबारी/देवासी समाज गत् 15 वर्षों से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत रही हैं और राजस्थान में कई बडे आन्दोलन आरक्षण को लेकर हुए हैं । राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019 में गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के उपरांत 13 फरवरी 2019 को राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को'राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2019), के संविधान के अनुच्छेद 31(ख) के अंतर्गत संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कराये जाने बाबत् पत्रावली भेजी है । इसी पत्रावली का राजस्थान सरकार ने 21 अक्टूबर 2020 को पुनः केन्द्र सरकार को प्रेषित किया है । अतः सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के 5 प्रतिशत एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वी अनुसूची में सम्मिलित करने करें ।